

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय उपायुक्त, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">संदिग्ध जमाबंदी वाद संख्या-1135/2019 सरकार बनाम मंगरा मुण्डा आदेश</p> <p>अपर समाहर्ता, खूँटी के पत्रांक-821/रा0 दिनांक-16.12.2020 द्वारा मौजा-मलियादा थाना नं0-37 खाता नं0-43/68 गैर मजरूआ खास परती पत्थर, प्लॉट नं0-456 रकबा-0.09 एकड़ भूमि का जमाबंदी मंगरा मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख प्राप्त है।</p> <p>अंचल अधिकारी, मुरहू द्वारा प्रतिवेदित है कि राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा- मलियादा थाना नं0-37 खाता नं0-43/68, प्लॉट नं0-456 रकबा-0.09 एकड़ भूमि पंजी ii के भोलुम सं0 I पृष्ठ सं0 104 पर वर्ष 1988-89 से रैयत मंगरा मुण्डा पिता दयाल सिंह मुण्डा मौजा-मलियादा थाना-मुरहू जिला-खूँटी के नाम से बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश से दर्ज पाया गया है। उक्त भूमि सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म परती पत्थर दर्ज है। अवैध जमाबन्दीदार द्वारा आवासीय/कृषि सहित पूर्व से धारित कुल भूमि का रकबा 0.09 एकड़ है। अवैध जमाबन्दीदार मुण्डा जाति के सदस्य है। उक्त भूमि पर जमाबन्दीदार का दखल कब्जा नहीं है। भूमि का वर्तमान स्वरूप परती पत्थर है। अवैध जमाबन्दीदार सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के वीरगति/शहीद के उत्तराधिकारी, पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आए हुए शरणार्थी, सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार, भूमिहीन दिव्यांग व्यक्ति नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि शासकीय परिसर/ संस्थान/ राजपथ /उच्चपथ /मुख्यपथ से दूरी पर है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा 4(h) के तहत रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है। साथ ही बंदोबस्त रैयत के वंशज द्वारा जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।</p> <p>उक्त संदेहास्पद भूमि का अवैध जमाबन्दीदार के द्वारा किसी प्रकार का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त जमाबन्दी को अवैध मानते हुए अंचल अधिकारी, मुरहू ने बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित मौजा के पंजी ii के अनुसार वर्ष 1988-89 से जमाबंदी संधारित है। लगान रसीद निर्गत नहीं है, परन्तु जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। जमाबंदी रैयत मंगरा मुण्डा पिता दयाल सिंह मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम होने का उल्लेख किया गया है, अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा अभिलेखबद्ध प्रस्ताव हल्का कर्मचारी के जॉच प्रतिवेदन, आम इश्तिहार, सूचना, संदिग्ध /संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन, चेक-लिस्ट के साथ प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित भूमि की जमाबन्दी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर कायम की गयी है जिसका</p>	

उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा प्रतिवादी से प्रश्नगत भूमि की राजस्व कागजात/दस्तावेज/लगान रसीद की मांग विधिवत की जाने की पुष्टी की गयी है परन्तु प्रतिवादी ने मांगी गयी भूमि से संबंधित किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य निम्न न्यायालय को प्रस्तुत नहीं किया है। पंजी ii में जमाबन्दी का कोई आधार दर्ज नहीं है प्रतिवादी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं होता है कि भूमि किस प्रकार प्राप्त किया है, साथ ही बंदोबस्त रैयत के वंशज द्वारा जमाबन्दी रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया है। इस परिस्थिति में उक्त जमाबन्दी को अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द किये जाने कि अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी को अवैध मानते हुए रद्द करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

अपर समाहर्ता, खूँटी द्वारा प्रतिवेदित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का जमाबन्दी कायम होने का ठोस साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंजी ii में जमाबन्दी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। उन्होंने उक्त भूमि के जमाबन्दी को अवैध मानते हुए रद्द करने का अनुशंसा किया है।

अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया परन्तु विपक्षी दो वर्ष के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, साथ ही बंदोबस्त रैयत के वंशज द्वारा जमाबन्दी रद्द करने हेतु आवेदन अंचल अधिकारी, मुरहू को समर्पित किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है और विपक्षी के पास उक्त जमाबन्दी से संबंधित कोई भी राजस्व कागजात उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालयों में कोई ठोस साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि जमाबन्दी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध जमाबन्दी के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या से स्पष्ट होता है कि उक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबन्दी अवैध प्रतीत होती है।

अतः अभिलेख में संलग्न हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन, अंचल अधिकारी, मुरहू, भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी, अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अपर समाहर्ता, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में मौजा- मलियादा थाना नं०-37 खाता नं०-43/68 गैर मजरूआ खास परती पत्थर, प्लॉट नं०-456 रकबा-0.09 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती एवं संधारित जमाबन्दी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द किया जाता है।

अभिलेख पर पारित आदेश की सरकार द्वारा संपूष्ठी हेतु मूल अभिलेख आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल रॉंची को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
खूँटी।

उपायुक्त
खूँटी।